अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
28.10.23	अभिलेख उपस्थापित। योद्धा महतो पिता स्व0 गिरधारी महतो, निवास स्थान ग्राम-भलुवा, थाना-विष्णुगढ़, पोस्ट-नवादा, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-ओरिया, थाना नं0-152, खाता संख्या-14 प्लॉट संख्या-51, रकवा 0.0275 एकड़ (2.75 डिसमिल) (दो दशमलव सात पाँच डिसमिल) दिलीप कुमार महतो पिता कैलाश महतो, निवास स्थान ग्राम एवं पोस्ट-हेन्देगढ़ा, थाना-चरही, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित केता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति तथा भूमि संबंधित कागजात संलग्न कर आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-78/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 286/रा0 दिनांक 20.01.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 2059 दिनांक 20.10.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चैक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि - विक्रेता एवं क्रेता पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत है, जो सी0एन0टी0 से आच्छादित है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला से हासिल है। खतियान के अनुसार भूमि का किस्म रैयती है। खतियानी रैयत चन्दु सुण्डी वगै0 हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 4.67 एकड़ भूमि है। पंजी-II अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 0.0275 एकड़ भूमि है। पंजी-II के पृष्ठ संख्या-65/IX पर योद्धा महतो के नाम से ऑनलाईन में जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2020-21 तक निर्गत् है। आवेदक स्वयं जमाबंदी रैयत हैं। पूर्ण भूमि आवेदक की है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाता में रकवा 2.88 एकड़ भूमि बचता है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है। प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर क कार्रवाई के ब टिप्पणी तारीख
1	2	3
	अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।	
	उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में योद्धा महतो पिता स्व0 गिरधारी महतो, निवास स्थान ग्राम-भलुवा, थाना-विष्णुगढ़, पोस्ट-नवादा, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-ओरिया, थाना नं0-152, खाता संख्या-14 प्लॉट संख्या-51, रकवा 0.0275 एकड़ (2.75 डिसमिल) (दो दशमलव सात पाँच डिसमिल) दिलीप कुमार महतो पिता कैलाश महतो, निवास स्थान ग्राम एवं पोस्ट-हेन्देगढ़ा, थाना-चरही, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।	
	लेखापित एवं संशोधित	
	अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	
	अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.10.31 14:29:55 +05:30
Location: 192.168.100.2